न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया
शिकारपुर – 461/2020

दिनांक–25/09/2020

शिकारपुर थाना कांड संख्या – 461/2020 के अन्तर्गत दिनांक 07/09/2020 से काराबंदी अभियुक्त रमई राम की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद में सूचक दरोगा प्रसाद कुशवाहा ने गलैम्बर मोटर साईकिल जिसका रजि0 नं0 BR 22S-0340 इंजन नं0 JA06ETD9KD4796 चेचिस नं0 MBLJH06ACD9K 04713 माडल नं0 2013 शहजाद अंसारी से गाडी खरीदा हूॅ जिसका विक्री पत्र लिखवाया हूॅ । परन्तु गाडी का स्थानान्तरण अपने नाम से नही कराया हूॅ । आर्नर पुक शहजाद अंसारी के नाम पर है । दिनांक 02/09/2020 को समय 13:30 बजे दिन में अपने भाई का नामांकन , रेलवे प्रवेशिका विधालय प्लस 2 में कराने अपनी गलैम्बर मोटर साईकिल से गया था । जो अन्दर गेट पर लगाकर कार्यालय में गया । कार्यालय से कार्य के बाद जब बाहर निकला तो मेरी मोटर साईकिल नही थी । सूचक को पूरा विश्वास है कि अज्ञात चोरी द्वारा मेरी मोटर साईकिल चोरी कर ली गई है ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है। आवेदक अभियुक्त का नाम अनुसंधान के कम में आया है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 379 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अजमानतीय है । आवेदक अभियुक्त पर सूचक ने मोटर साईकिल चोरी करने का आरोप लगाया है । आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 23/09/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी